

## कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

सत्र 2013–14 के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से कक्षा 9वीं/11वीं के लिए नवीन मान्यता चाहने वाले विद्यालयों के आवेदन पत्रों में मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 में विहित प्रावधानों के अनुसार निम्न कमियां होने के कारण संस्थाओं को नवीन मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

### संभाग उज्जैन

दिनांक 02.08.2013

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियाँ
1	गुरुदोष एकड़मी हासे., देवास	1 खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख नहीं। 2 पंजीकृत किरायानामा स्पष्ट नहीं। 3 शाला भवन के फोटो नहीं। 4 संस्था पदाधिकारियों के फोटो नहीं। 5 स्टॉफ, शिक्षक, पुस्तकालय के फोटो, प्रयोगशाला के फोटो दो अध्यापन कक्षों व प्रार्थना करते हुये छात्रों के रंगीन फोटो अप्राप्त। 6 अग्निशमन, दो इण्डोर गेम के फोटो नहीं। 7 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
2	भारतीय ज्ञानदीप कान्वेंट, देवास	1 प्राप्त छायाचित्र से भवन दुकाननुसार प्रतीत हो रही है। 2 शैक्षणिक कार्य हेतु भवन उपर्युक्त नहीं। 3 भूमि, भवन का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त व भवन का नक्शा अप्राप्त। 4 भवन के सामने के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 5 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 6 सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण व रंगीन छायाचित्र अप्राप्त।
3	महाकालेश्वर हाई. हरणगांव देवास	1 फर्नीचर के छायाचित्र अप्राप्त। 2 प्रयोगशाला उपकरण पर्याप्त नहीं। 3 खुली भूमि का अभाव।
4	इम्पिरियल एके. विकास नगर, देवास	1 कुल क्षेत्रफल नियमानुसार 4000 वर्गफुट नहीं है। 2 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
5	वर्जिनिया कान्वेंट स्कूल, देवास	1 पंजीकृत किरायाचिठ्ठी पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिये नहीं है। 2 संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
6	शारदा विद्या निकेतन हाई. हाटपीपल्या, देवास	1 किरायानामा पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिये नहीं। 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 4 सुरक्षा व अग्निशमन के प्रमाणस्वरूप रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 5 दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त।
7	लिजेण्ड कान्वेंट स्कूल, उज्जैनरोड देवास	1 प्रस्तुत किरायानामा नोटरी पर है। 2 फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 3 दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
8	गायत्री वि. निके. पूंजापुरा, देवास	संस्था को सत्र 2013–14 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2014–15 के लिये कक्षा 10वीं की नवीन मान्यता प्रदान की गई है। नियमानुसार एक ही सत्र में दो कक्षाओं की नवीन मान्यता दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध।
9	सरस्वती बाल विन. मंदिर, क्षिप्रा देवास	1 भूमि/भवन के अभिलेख कुट-रचित तरीके से तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं।
10	वसुन्धरा पब्लिक स्कूल, पूंजापुरा बागड़ी, देवास	संस्था को सत्र 2013–14 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2014–15 के लिये कक्षा 10वीं की नवीन मान्यता प्रदान की गई है। नियमानुसार एक ही सत्र में दो कक्षाओं की नवीन मान्यता दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध।
11	श्रीकृष्ण विद्या मंदिर, डेहरिया, कन्नौद, देवास	1 प्राप्त छायाचित्र अनुसार भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त नहीं। 2 एस.डी.एम. के निरीक्षण प्रतिवेदन में कांट-छांट है। 3 पंजीकृत किरायेनामे में खुली भूमि व निर्भित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं।
12	प्रशांति इंगिलश मिडियम स्कूल रतनगढ़ नीमच	1 छायाचित्र से संस्था के पास खेल मैदान नहीं होना प्रतीत हो रहा है। 2 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 3 सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण व रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 प्रयोगशाला उपकरणों की सूची व प्रयोगशाला का रंगीन छायाचित्र अप्राप्त।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियॉ
13	आर.बी.एस. पब्लिक स्कूल, नीमच	1 समिति शिक्षकों का भवन के सामने खड़े होकर रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 2 अग्निशमन यंत्र का रंगीन छायाचित्र, सुरक्षा का प्रमाण अप्राप्त। 3 छायाचित्र व कुछ अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से सत्यापित नहीं।
14	शारदा विद्या मंदिर, पालसोडा जीरन, नीमच	1 भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख अनुसार संस्था के पास कुल भूमि 5000 वर्गफुट मय निर्मित है तथा नक्शा अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट तथा खुला भाग 1400 वर्गफुट है जो मापदण्डो से कम है।
15	सागर विद्या निके तन स्कूल, नलखेडा, शाजापुर	1 इण्डोर खेलों की व्यवस्था नहीं। 2 भूमि व भवन का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 3 पुस्तकों की सूची अप्राप्त। 4 समिति के सदस्यों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण नहीं होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 5 अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित नहीं। 6 भवन के आगे के छायाचित्र, प्रयोगशाला के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 7 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। सुरक्षा व अग्निशमन के छायाचित्र अप्राप्त।
16	सर्वोदय ज्ञान मंदिर, तिलावद मैना, शाजापुर	1 प्राप्त अभिलेख समिति के अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 2 समिति के सदस्यों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 3 दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 सुरक्षा, अग्निशमन का प्रमाण व रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 5 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
17	कोटिल्य एजूकेश हाई. नलखेडा शाजापुर	1 किरायानामा दस्तावेज पंजीकृत नहीं। 2 भवन के आगे व पीछे के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 दो इण्डोर खेल की व्यवस्था नहीं। 4 समिति के पदाधिकारियों व शिक्षकों के छायाचित्र विधिवत नहीं। 5 दो अध्यापन कक्षों के छायाचित्र नहीं।
18	आस्था पब्लिक स्कूल, जेल रोड शाजापुर	1 भूमि/भवन का क्षेत्रफल मापदण्ड के अनुसार नहीं है। 2 पंजीकृत किरायानामा नहीं है। 3 प्रयोगशाला का फोटो नहीं है। फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 4 दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 5 ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 6 संस्था पदाधिकारियों/स्टॉफ का आपराधिक पृष्ठ भूमि न होने संबंध शपथ पत्र अप्राप्त। 7 जिला समिति की अनुशंसा नहीं।
19	कक्का इंटरनेशन स्कूल, नलखेडा शाजापुर	1 प्रायोगिक उपकरणों की सूची अप्राप्त। 2 प्राप्त छायाचित्र रंगीन फोटोकॉपी है, मूल रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 भवन का नक्शा अप्राप्त। 5 निर्मित एवं खुली भूमि संबंधी स्थिति पंजीकृत अभिलेख में स्पष्ट नहीं हो रही है।
20	हिन्द जूनियर स्कूल, शाजापुर	1 भूमि/भवन के अभिलेख में कुल, निर्मित व खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारिया व शिक्षकों के छायाचित्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों, दो इण्डोर खेलों के फोटो मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त। 3 पुस्तकों, फर्नीचर व प्रायोगिक उपकरणों की सूची अप्राप्त। 4 ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 समिति सदस्यों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 6 प्रतिवेदन पर नवीन मान्यता हेतु अभिमत अंकित नहीं। 7 संस्था के आवेदन पर निरीक्षण दल द्वारा हिन्द कॉलेज लिखा गया है प्राप्त सूची में हिन्दी स्कूल लिखा गया है। कृपया स्पष्ट करे कि कक्षा 9वीं की मान्यता अथवा कॉलेज के लिये आवेदन किया गया है। 8 प्राप्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से सत्यापित नहीं।
21	सेंटकबीर पब्लिक हाई. सोयतकलां शाजापुर	1 भूमि/भवन के दस्तावेज अनुसार संस्था के पास कुल भूमि 4000 वर्गफुट है। कक्षा 11वीं के लिये नियमानुसार कुल 5600 वर्गफुट भूमि होना चाहिये एवं कुछ अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से सत्यापित नहीं।



क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियॉ
22	हैपी किड्स पब्लिक स्कूल, सुसनेर, शाजापुर	1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पूर्व के ही है जिसमें कुल भूमि, निर्मित क्षेत्रफल व खुले भाग का उल्लेख नहीं। प्रस्तुत भवन के नवशे में भूमि भवन के क्षेत्रफल की जानकारी प्रतिवेदन में अंकित जानकारी से भिन्न है। तथा प्रतिवेदन में भी कांट-छांट है।
23	संस्कारविद्या मंदिर कालापीपलगांव शाजापुर	1 किरायेनामे की अवधि पूर्ण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त।
24	विद्या सागरपब्लिक स्कूल, शाजापुर	1 भूमि/भवन के पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित भवन के क्षेत्रफल अनुसार भवन पूर्णतः निर्मित होना प्रतीत नहीं हो रहा है। 2 भवन के प्राप्त छायाचित्रों में भिन्नता है। 3 एस.डी.एम. के निरीक्षण प्रतिवेदन में भूमि/भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला व पुस्तकालय अपर्याप्त बताया गया है।
25	ब्राईट स्टार हासे. स्कूल, अकोदिया शाजापुर	1 पंजीकृत किरायेनामे में भवन व खुली भूमि का पृथक-पृथक क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। किरायानामा एवं प्रतिवेदन में भवन दो मंजिला है तथा भूल किराये से दिया गया है। जबकि भवन के छायाचित्र से भवन एक मंजिला है जिस कारण किरायानामा गलत प्रतीत होता है।
26	गीता पब्लिक हाई. अकोदिया मण्डी, शाजापुर	1 एसडीएम की रिपोर्ट अनुसार निरीक्षण के समय शाला बंद मिली। पुनः प्रस्तुत दस्तावेज के साथ जिला समिति का विधिवत प्रतिवेदन अप्राप्त।
27	सांदीपनी ज्ञान पीठ, शाजापुर	1 भूमि/भवन के अभिलेख अनुसार भवन का कुल क्षेत्रफल 3500 वर्गफुट है जो मापदण्डो से कम है।
28	एस.डी. स्कालर एकेडमी, काला पीपल, शाजापुर	1 प्राप्त पंजीकृत किरायानामा में संस्था भवन के सामने 6000 वर्गफुट खुली भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख है, किन्तु उक्त भूमि का पंजीकृत अभिलेख पृथक से अप्राप्त है जिसके अनुसार संस्था के पास पर्याप्त भूमि व खुली भूमि नहीं।
29	सनराईज पब्लिक स्कूल, अकोदिया मण्डी, शाजापुर	1 भूमि/भवन संबंधी प्राप्त दस्तावेज के अनुसार भवन का क्षेत्रफल 3350 वर्गफुट है किन्तु इस से लगी खुली भूमि नहीं है, न ही कोई उल्लेख नहीं। पृथक से भूमि का अभिलेख प्रस्तुत किया है, उक्त दोनों अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, भूमि व भवन एक साथ है। 2 एस.डी.एम. के प्रतिवेदन अनुसार भी भवन से लगी खुली भूमि 1000 वर्गफुट बताई गई है, जो मापदण्ड से 1000 वर्गफुट कम है।
30	सांदीपनी हाई. शास्त्री मार्ग, शुजालपुर शाजापुर	1 अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2013 के अनुसार आवेदन में उल्लेखित पते पर संस्था संचालित नहीं। प्रतिवेदन में सारी जानकारी निरंक अंकित। समिति की अनुशंसा नहीं। 2 संस्था द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ विधिवत जिला स्तर समिति का प्रतिवेदन सह दस्तावेज पुनः अप्राप्त।
31	सरस्वती विद्या मंदिर, भाटपचलाना उज्जैन	1 निरीक्षण प्रतिवेदन में संभागीय अधिकारी द्वारा कुल भूमि को गलत बताया गया है। 2 कृषि संकाय हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले पर्याप्त शिक्षक व प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। 3 प्रसाधन कक्षों में प्लास्टर नहीं है। 4 संस्था पदाधिकारियों, स्टॉफ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के रंगीन फोटो नहीं हैं। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
32	इनडाईट पब्लिक स्कूल, उर्दुपुरा उज्जैन	1 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 2 भवन से लगी हुई खुली भूमि नहीं।
33	स्टार कार्नेंट स्कूल, उज्जैन	1 खेल मैदान की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं। 2 भवन से लगी खुली भूमि का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त।
34	न्यू साउथइंडियन कार्नेंट स्कूल, उज्जैन	1 संस्था के पास खुली भूमि नहीं है। 2 दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 पुस्तकों, प्रायोगिक उपकरणों, फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 4 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
35	यथार्थपृथ्वीचरिस्टिक एकेडमी, घासमंडी चौराहा, उज्जैन	1 प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख अनुसार निर्मित व खुले क्षेत्रफल की पुष्टि नहीं होती है।

क्र	संस्था का नाम	संस्था के प्रकरण में कमियों
36	सप्तऋषि विद्या मंदिर, आगर रोड, उज्जैन	1 प्रस्तुत किरायेनामे में उल्लेखित क्षेत्रफल में कांट-छांट है। दस्तावेज कूटरचित है।
37	पर्यूचर शाईन कार्नेट स्कूल, चामत्तेश्वर, उज्जैन	1 भूमि/भवन के दस्तावेज में भवन के निर्मित होने तथा शेष खुली भाग होने का उल्लेख नहीं। 2 भवन निर्मित होने के संबंध में स्वीकृत नकशा चाहा गया था। प्राप्त नकशा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं। 3 प्राप्त छायाचित्र अनुसार भवन पूर्णतः निर्मित नहीं है।
38	ओएसिस एकेडमी रुनिजा, उज्जैन	1 संस्था ने पूर्व का ही किरायेनामा प्रस्तुत किया है जिसमें खुली भूमि पृथक से जोड़ा गया है।
39	वीणा कार्नेट स्कूल, नांदेड, तराना, उज्जैन	1 निरीक्षण प्रतिवेदन में भूमि/भवन की जानकारी में कांट-छांट है। 2 एस.डी.एम. का प्रतिवेदन तथा असंस्था का आवेदन अनुसार कुल भूमि, भवन का निर्मित भाग व खुली भूमि काक्षेत्रफल पर्याप्त नहीं है। 3 भवन के नकशा अनुसार भी असंस्था भूमि, भवन व खुली भूमि का क्षेत्रफल पूर्ण नहीं है। 4 भवन के आगे-धीरे के रंगीन छायेनामा किम अप्राप्त।
40	स्वामी विष्णुतिर्थ ज्ञान गुरुकुल मिडिलस्कूल, देवारा	1 भूमि/भवन का पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 2 पुस्तकों एवं फर्नीचर की सूची अप्राप्त। 3 दो इण्डोर गेम व स्पर्धा अग्निशमन का असमिक्त अप्राप्त। 4 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल लक्ष्य पत्र अप्राप्त।
41	सरस्वती उच्चकृष्ट ज्ञान मंदि नाम ली, रत्नाम	1 जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा नहीं है। 2 प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शाला भवन में भूमि भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय एवं प्रयोग शाला व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। 3 अग्निशमन व्यवस्था नहीं। 4 इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 प्राप्त कुछ दस्तावेज अध्यक्ष/सचिव से प्रमापिता/हस्ताक्षरित नहीं। 6 प्राप्त कुछ सेकेण्डरी हेतु खुली भूमि 3000 वर्गफुट नहीं।
42	गुरुकुल वि.पी.ठ ताल, जावारतलाम	1 हायर सेकेण्डरी हेतु खुली भूमि 3000 वर्गफुट नहीं।
43	जैथ पब्लिक हासे. ग्राम बांगरोड, रत्नाम	1 एस.डी.एम. के प्रतिवेदन अनुसार भवन से लगी हुई खुली भूमि 2100 वर्गफुट है, जो निर्धारित मापदण्ड से कम है। 2 आपके द्वारा प्लाट (खेल मैदान) के लिये रक्कम 1.590 का अनुबंध प्रस्तुत किया है जो पंजीकृत नहीं है।
44	मसीही माध्यमिक विद्यालय आलोट रत्नाम	1 कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार भूमि दस्तावेज पूर्ण नहीं। 2 भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 3 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
45	शुभम शिशु विहार माध्यमि विद्यालय राजेन्द्रनगर, रत्नाम	1 भूमि/भवन के अभिलेख असंस्था/समिति के नाम से नहीं। 2 कुल भूमि, निर्मित क्षेत्रफल व खुली भूमि का क्षेत्रफल नियमानुसार पर्याप्त नहीं। 3 कुछ अभिलेख समिति असंस्था/सचिव से सत्यापित नहीं।
46	जागृति कार्नेट हाईस्कूल, प्रितम नगर, रत्नाम	1 प्रस्तुत किरायेनामे अनुसार कूल भूमि 4000 वर्गफुट तथा खुली भूमि 2000 वर्गफुट नहीं है।
47	डेफोडिल हायर सेकेण्डरी स्कूल रत्नाम	1 संस्था ने दो भवनों के अलग-अलग छायाचित्र प्रस्तुत किये हैं, दोनों भवनों में से भवन का छायाचित्र कम्प्यूटर से तैयार किये गये प्रतीत हो रहे हैं। 2 समिति सदस्यों के छायाचित्र भी नियमानुसार शाला भवन के सामने खड़े होकर नहीं हैं। 3 एस.डी.एम. के प्रतिवेदन पर एसडीएम के हस्ताक्षर नहीं।
48	एकलव्य हाई. शामगढ, मंदसौर	1 पुस्तकालय के छायाचित्र अप्राप्त। 2 फर्नीचर की सूची व इण्डोर खेलों के छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्राप्त पंजीकृत अभिलेख अनुसार संस्था के पास मान्यता विनियम के अनुसार कक्षा 11वीं के लिए भूमि 2600 वर्गफुट एवं भवन से लगी खुली भूमि 3000 वर्गफुट नहीं। 4 प्रतिवेदन में जिला समिति के सदस्य कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं।
49	दिगम्बर जैनकन्या हाईस्कूल, रामटेकरी मंदसौर	1 भूमि/भवन के दस्तावेज अनुसार भूमिका का क्षेत्रफल 3350 वर्गफुट है। जबकि नियमानुसार हासे. के लिये कुल भूमि 5600 वर्गफुट होना चाहिये। 2 भवन के नकशे अनुसार भुखण्ड का कुल क्षेत्रफल 18000 वर्गफुट हैं, किन्तु इसका पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और भवन का नकशा भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं।